FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम

सकीना बानो बनाम बदरूदीन

किस्म मुकदमा दावा नं. 160/20 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
19/8/20	आज यह दावा अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. की कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु Regd. सम्मन तलवाना पेश करें। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 21.9.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
21/9/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 12.11.20 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
12/11/20	वकील पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त हे मिसल दिनांक 04-01-21 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
4/1/21	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री विनोदकुमार सैनी अधिवक्ता ने वकालतनामा व रूक्का जवाबदावा पेश किया। शामिल मिसल रहे। मिसल वास्ते जवाब फरीकान राज दिनांक 19.2.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/2/21	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्विवाद रूप से वादग्रस्त भूमि पूर्व में मु० छोटी बेगम पत्नी कमरूदीन के खातेदारी की रही है व छोटी बेगम पत्नी कमरूदीन ने वादग्रस्त भूमि की लिखित वसीयत दिनांक 13.11.92 को वादीनी के हक में की थी। उक्त छोटी के मरने पर विरासतन इन्तकाल संख्या 1576 कस्बा राजगढ़ प्रतिवादी के हक में दर्ज होकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
	वादीनी के हक में तहरीर वसीयत का कोई उल्लेख नहीं है। वादग्रस्त भूमि उक्त छोटी की स्वअर्जित सम्पत्ति रही है जिसकी वसीयत करने का उसे अधिकार था तथा छोटी के मरने पर दर्ज किये जाने वाले विरासतन नामान्तरकरण के समय वादी के हक में तहरीर तकमील वसीयत पर विचार नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले अधिकारी को करना चाहिए था जो नहीं किया गया है जिस कारण तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1576 पर पारित आदेश दिनांक 25-1-1997 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) को निर्देशित किया जाता है कि वादी के हक में तहरीर तकमील वसीयत दिनांक 13-11-92 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर सुनवाई की समस्त प्रक्रियाओं का पालन कर नियमानुसार नामान्तरकरण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। वादीनी को भी हिदायत दी जाती है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन मय साक्ष्य सबूत तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) के समक्ष प्रस्तुत करे। उपरोक्तानुसार वाद वादीनी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ को परवाना जारी किया जावे। मिसल फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)